जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स केसरी स्टोनेक्स प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना रेफरेन्स नम्बर 20221000056961, क्षेत्रफल 1.0008 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 94584 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 09.2728 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 1033609.1 टन प्रति वर्ष के खसरा नम्बर 2158/2, 2158/3 और 2158/4 निकट ग्राम– कड़िला तहसील मालपुरा, जिला टौंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टौंक, जिला टौंक की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2024 को प्रातः 11:00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम कड़िला, तहसील मालपुरा, जिला टौंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टौंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/6793 दिनांक 09.07.2024 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–बूंदी/पी.यू.बी.-342/476--482 दिनांक 10.07.2024 के अनुपालना में मैसर्स केसरी स्टोनेक्स प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना रेफरेन्स नम्बर 20221000056961, क्षेत्रफल 1.0008 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 94584 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 09.2728 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 1033609.1 टन प्रति वर्ष के खसरा नम्बर 2158/2, 2158/3 और 2158/4 निकट ग्राम– कड़िला तहसील मालपुरा, जिला टौंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 23.08.2024 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दैनिक ताज भारती के संस्करण** में दिनांक 17.07.2024 एवं **इण्डीयन एक्सप्रेस** के संस्करण में दिनांक 18.07.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्रीमान सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एव परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वितास्ता एनवायरो सर्विस प्राईवेट लिमिटेड़ की तकनीकी सलाहकार श्री सुनिल यादव के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के बारे में जो भी बताया है आप की तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझााव हो उसका जवाब दिया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसी क्रम में श्री गणेश कड़िला निवासी कड़िला ने कहा कि इस रास्ते सही नहीं है उनको सही करवाया जाये।

Dhuita

अंत में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपति नहीं है बताया और कहा कि हमे इस परियोजना से कोई दिक्कत नही है।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

अंत में श्रीमान् सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई। जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

Savita
29/08/24
सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बूंदी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी (राज.)

सुरेश चौधरी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक, जिला टोंक (राज.)
(सुरेश चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर एवं
अति.जिला मजिस्ट्रेट.टोंक

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स केसरी स्टोनेक्स, खसरा संख्या 2158/2, 2158/3 एवं 2158/4, संदर्भ संख्या 20221000056961 क्षेत्रफल – 1.0008 हैक्टेयर, निकट ग्राम कड़ीला, तहसील मालपुरा, टोंक की प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल – 9.2728 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम कडीला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक

दिनांक :– 23.08.2024

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	सुरेश चौधरी ADM Tonk	(signature)
2.	Savita, RO, RSPCB, Bundi	Savita
3.		
4.	राजेन्द्रसिंह कडीला	राजेन्द्रसिंह
5.	सिताराम कुम्हार कडीला	(thumb impression)
6.	सोजीराम बैरवा कडीला	(thumb impression)
7.	राजेन्द्र कुमार बैरवा कडीला	राजेन्द्र
8.	गणेश बैरवा कडीला	(thumb impression) गणेश
9.	राजकुमार बैरवा कडीला	राजकुमार
10.	गणेश बैरवा कडीला	गणेश
11.	राकेश बैरवा कडीला	राकेश
12.	नन्दा सैनी चांदसेन	नन्दा
13.	सागर खाड़ मालपुरा	सागर
14.	सुनील कुमार अजमेर	(signature)
15-	Sanju Choudhary Jaipur	Sanju

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
16.	Dilip Kumar Meena JEE, RSPCB Bundi	[illegible]
17.	Ramjilal mulpura	[illegible]
18.	Shankar lal mahendra	[illegible]
19.	भागीरथ सिंह डूगरी कला	भागीरथ
20.	Mahendra Maloo - Ajmer	[illegible]
21.	बाबूलाल कडील	बाबूलाल
22.	राधेश्याम [illegible]मोगपुरा [illegible]	राधेश्याम
23.	धर्माराम जाट (पटवारी)	[illegible]
24.	हीना कुमावत VDO	[illegible]
25.	गणेश बैरवा कडीला	गणेश
26.	जयप्रकाश माली	[illegible]
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

18 July 2024, The Indian Express

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,

बूंदी ई-मेल: rorpeb.bundi@gmail.com

Date:10.07.2024

RCB/RO BUNDI/PUB-342

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स केसरी स्टोनेक्स खसरा नम्बर 2158/2, 2158/3 – 2158/4, निकट ग्राम कडीला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1.सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 9.2728 हेक्टर कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1033609.1 TPA आवेदक मैसर्स कैसरी स्टोनेक्स द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.0008 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 94584 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 2158/2, 2158/3 – 2158/4, निकट ग्राम कडीला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल(यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2.और चूंकि मैससे केसरी स्टोनेक्स, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिलप कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है।

3. जिला कलक्टर, टोंक। 4.CEO जिला परिषद् टोंक। 5.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 6.क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।

7.महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक। 8.उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।

9.क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक। 10. ग्राम पंचायत कडीला।

11. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम कडीला तहसील मालपुरा, जिला टोंक

12. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प(एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

13. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को प्रात: 11:00 बजे, स्थान राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम कडीला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)

क्षेत्रीय अधिकारी

वित्तीय प्रबंधन किया जाना है उन कार्यों की पत्रावली 7 दिवस में वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने 17-ए के लंबित प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 215(2) के अनुसार संकर्मों या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिमों का अधिकतम 3 माह के अन्दर समायोजन किया जाना आवश्यक है।

आदेश दे दिए हैं। स्वयंभू बाबा योगी चैतन्य आकाश पर ये आरोप हैं। उनका कहना है कि उन्हें खुद देवी मां ने सपने में आकर यह मंदिर बनवाने का आदेश दिया था।

टोडाभीम में बीमा क्लेम के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण के लिए शीघ्र कैम्प लगाए जाएंगे : के के विश्नोई

जयपुर(नि.सं.)। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के के विश्नोई ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि NEFT बाउन्स, खाते एवं आधार से सत्यापित ना होने के कारण लम्बित फसल बीमा पॉलिसियों के भुगतान वैकल्पिक खातों में करने के लिए टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र कैम्प लगवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए बीमा कम्पनियों को निर्देशित कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि NEFT बाउन्स, खाते एवं आधार से सत्यापित ना होने के कारण लम्बित प्रकरणों में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के तहत वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम की राशि वितरित की जाती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीमा कम्पनियों एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है।

महिलाएं सजाएंगी 'काफिला सुरों का'

...र्देशन में शहर की 18 महिलाएं ...द रफी और मुकेश के नगमें

के निर्देशन में आयोजित होगा। इस मौके पर मुक्ता भी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम की सह संयोजक उषा अग्रवाल और अनुराधा माथुर ने बताया कि चूंकि ये सावन का महीना है इसलिए सभी गायिकाएं हरे रंग के परिधान पहनकर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी।

...नगर परिषद टोंक

...4-25/4307 दिनांक :- 12.07.2024

...2024-25 (NIB No. DLB2425A0983)

...होने वाले विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों हेतु इच्छुक ... दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय की जावेगी। अन्य विवरण व ...v.in पर देखी जा सकती है। UBN No. -

आयुक्त, नगर परिषद, टोंक

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO Bundi/PUB/342/ Date: 10.07.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स केसरी स्टोनेक्स खसरा नम्बर 2158/2, 2158/3 & 2158/4, निकट ग्राम कडीला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-9.2728 हैक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1033609.1 TPA आवेदक मैसर्स केसरी स्टोनेक्स द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट मानिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.0008 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 94584 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 2158/2, 2158/3 & 2158/4, निकट ग्राम कडीला मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखत) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स केसरी स्टोनेक्स, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

i. जिला कलक्टर, टोंक।
ii. CEO जिला परिषद, टोंक।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानित क्षेत्र, झालाना डूंगरी जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, टोंक।
vi. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
vii. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
viii. ग्राम पंचायत कडीला।
ix. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम कडीला तहसील मालपुरा, जिला टोंक
x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुवाई/2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम कडीला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिम आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिए जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

...कॉलोनी, चांदपोल बाहर, जयपुर से मुद्रित एवं कार्यालय मेहन्दी बाग, टोंक (राज.) से प्रकाशित।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी

द्वारा आयोजित सामुहिक जनसुनवाई

"प्रस्तावित ग्रेनाइट व मेसनरी स्टोन क्लस्टर खनन परियोजना"

क्लस्टर पट्टा क्षेत्र 9.2728 हेक्टेयर (6-स्वीकृत खनन पट्टे व 1 प्रस्तावित)

क्रमांक	परियोजना प्रस्तावक	गांव	संदर्भ/खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन क्षमता (टी.पी.ए)
1	[illegible]र्स केसरी स्टोनेक्स	कडीला	20221000056961	1.0008	94,584
2	श्री [illegible]ले सिंह	कडीला	201810000322	1.0115	1,15,000
3	श्री श[illegible] लाल रेगर	डूंगरीकलां	201810000770	1.3480	71,400
4	श्री धर्मेन्द्र [illegible]रवा	कडीला	2019100006875	1.19	1,35,384
5	मेसर्स हिम[illegible]ी ग्रेनाइट	डूंगरीकलां	20191000011606	2.4896	3,96,597.6
6	श्री छिगनाराम	कडीला	20191000011619	1.2329	1,25,026
7	मेसर्स हिमांशी ग्रेनाइट	डूंगरीकलां	एम.एल. नं.- 36/2007	1.00	95617.5
	कुल			9.2728	10,33,609.1 (टी.पी.ए)

क्लस्टर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 10,33,609.1 (टी.पी.ए) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामुहिक लोक जनसुनवाई

दिनांक 23-08-2024 प्रातः 11.00 बजे से, स्थान- राजीव गांधी सेवा केंद्र,

गांवः-कडीला, तहसीलः-मालपुरा, जिलाः-टोंक (राजस्थान) में प्रस्तावित है,

प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्रफल – 1.0008 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 94,584 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)

(ग्रेनाइट - 47,292 टीपीए, अपशिष्ट - 47,292 टीपीए)

गांवः-कडीला एवं डूंगरीकलां, तहसीलः-मालपुरा, जिलाः-टोंक(राजस्थान)

परियोजना प्रस्तावक- मैसर्स केसरी स्टोनेक्स

राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
जिला टोंक (राज)

उप स्वास्थ्य केन्द्र कडी
BJP
4X4
बाबा श्याम हमारा

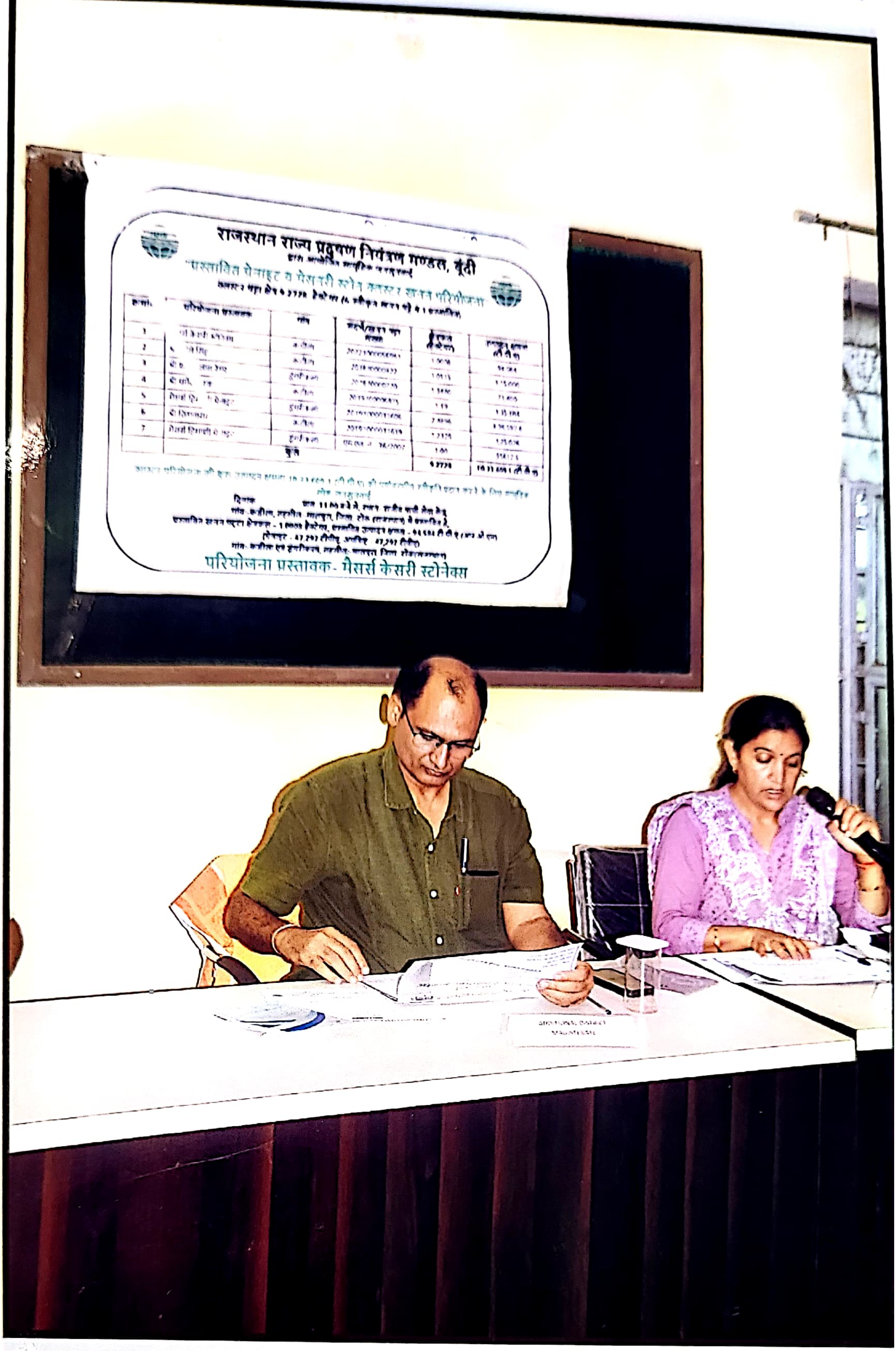
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी
परियोजना प्रस्तावक- मैसर्स केसरी स्टोनेक्स

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी
परियोजना प्रस्तावक: मैसर्स केसरी स्टोनेक्स